

डिक्री व मुकदमें इन्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या. प्रक्रिया संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया
वादपत्र अन्तर्गत धारा :- 88/53 आरटीए
प्रकरण संख्या:- 114/2025

1 बलकरण सिंह | पि.प्यारासिंह जाति नाई साकिनान ढाबा तहसील संगरिया।
2 विजय सिंह | वादीगण

वनाम

1. मोदनसिंह पुत्र अर्जनसिंह जाति नाई साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
2. कुलदीपसिंह पुत्र मोदनसिंह जाति नाई साकिन ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
3. गुरविन्द्र सिंह पुत्र मोदन सिंह जाति नाई साकिन ढाबा तह.संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. लखवीरकौर पत्नी कुलदीप सिंह जाति नाई सा. ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
5. सिमरनकौर पत्नी गुरविन्द्र सिंह जाति नाई सा. ढाबा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

6. पंजाब नैशनल बैंक शाखा ढाबा जरिये मैनेजर।
7. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया शाखा ढाबा जरिये मैनेजर।
तहसीलदार राजस्व संगरिया।

प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री ओमप्रकाश शर्मा वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री महावीर बेरड़ वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 4 बीजीपी खाता सं. 26/2 जमाबन्दी सम्वत 2070-2073 में वादी सं. 1 व 2 का 0.188 हिस्सा बढाया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन कर वादीगण का खाता निम्नानुसार अलग कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है:-

प.न.	मु.न.	किला नम्बर
207/131	26	18,22,23/0.759 नहरी
207/132	33	1/1/0.228 नहरी 1/2/0.025 खाला

नोट:- वादग्रस्त आराजी बैंक रहन हो तो ऋण चुकता का प्रमाण पत्र पेश होने पर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निज नल मुक्लिक निल बाबत निल खर्चा
मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयावी तक.....अदा करें।

वसवत मेरे दरतख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 26.5.2024 को जारी किया गया।

(जय कौशिक)

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया
संगरिया